पेयजल विभाग का वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु Outcome Budget

(रू0 लाख में)

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड)आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
		राजस्व	पूंजीगत	पूंजीगत		पूंजीगत	
ग्रामीण पेयजल योजनायें	ग्रामीण क्षेत्र की जनता को पेयजल उपलब्ध कराना।	6770.03	17760.01	518 ग्रामीण बस्तियों (एन.सी. एवं पी.सी.) में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु स्रोत कार्य, पाईप लाइन, जलाशय आदि कार्यों को सम्पादित कराना। 3946 ग्रामीण गुरूत्व व 263 ग्रामीण पम्पिंग पेयजल योजनाओं का रखरखाव किया जा रहा है। 1578 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का जीर्णोद्धार/मरम्मत/रखारखाव, 534 हैण्डपम्प अधिष्ठापन, 150 आयरन रिमूवल किट का अधिष्ठापन।	एक वर्ष	ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2020 तक 40 एलपीसीडी की दर से प्रत्येक परिवार को पेयजल उपलब्ध कराने के साथ–साथ सम्पूर्ण ग्रामीण स्वच्छता के कार्यो हेतु विजन 2020 तैयार कराया गया है। 518 ग्रामीण बस्तियों (एन.सी. एवं पी.सी.) में 40/70 एल.पी.सी.डी. की दर से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। राज्य की 80 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का जीर्णोद्धार/मरम्मत एवं क्रियान्वयन के फलस्वरूप ग्रामीणों को स्वच्छ व निरन्तर पेयजल की आपूर्ति तथा अभावग्रस्त क्षेत्रों में 534 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कर लगभग 22500 जनसंख्या को पेयजल से लाभान्वित किया जायेगा।	एक वर्ष
वाहय सहायतित परियोजना	ग्रामीण क्षेत्र में जन सहभागिता के आधार पर कार्य करना।	1750.00	1750.01				
नगरीय पेयजल/ जलोत्सारण योजनायें	नगरीय क्षेत्र की जनता को पेयजल एवं जलोत्सारण व्यवस्था करना।	1670.00	3700.00	10 अंशिक शहरों में पेयजल व्यवस्था एवं 7 आंशिक शहरों में जलोत्सारण व्यवस्था। 91 नगरीय पेयजल योजनाओं का जीर्णोद्धार /सुदृढीकरण, 47 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन, 150 हैण्डपम्पों की मरम्मत, यात्रा मार्गों की पेयजल व्यवस्था में सुधार, 07 नलकूप तथा 08 मिनी नलकूपों का निर्माण		जिन शहरों में पेयजल निर्धारित मानको से कम उपलब्ध हो रहा है उनमें मानको के अनुसार पेयजल की व्यवस्था करना एवं जलोत्सारण सम्बन्धी व्यवस्था करना। पुराने पम्पिंग प्लान्ट्स को बदलना, नागर क्षेत्रों में लघुविस्तार व आकस्मिकता कीे स्थिति में नलकूप/मिनी नलकूप का निर्माण कर पेयजल व्यवस्था को सुदृढ करना। सीवर व्यवस्था का विस्तार। यात्रा मार्ग की पेयजल व्यवस्था सुदृढ कर स्वच्छ व निरन्तर जल उपलब्ध कराना। उपरोक्त सुधारात्मक कार्यों के पश्चात सीधे रूप में लगभग 21300 जनसंख्या व प्लोटिंग जनसंख्या लाभान्वित होगी।	
गंगा कार्यकारी योजना/ राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण	नदियों को प्रदूषण मुक्त करना।	870.00	550.00	गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना।		राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अन्तर्गत बद्रीनाथ, जोशीमठ, गोपेश्वर, गौचर, नन्द्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, कीर्तिनगर, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, नरेन्द्रनगर, तपोवन, ऋषिकेश एवं हरिद्वार नगरो में गंगा नदी में हो रहे सीवरेज के प्रवाह को रोकने हेतु सीवर प्रणाली एवं सीवेज शोधन संयत्र का कार्य कर लाभ प्राप्त किया जायेगा।	
स्वच्छ भारत मिशन	ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य षिक्षा के माध्यम से स्थाई स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देते हुये खुले में शौच की प्रथा से राज्य को पूर्णतया मुक्त कर निर्मल राज्य घोषित करना।	2000.02	29000.00	वर्ष 2017–18 में 22000 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (बी0पी0एल0– 15372 तथा ए0पी0एल0–6628) का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है। (उक्त प्रस्तावित बजट के सापेक्ष 183663 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से 161663 की प्रगति अर्जित की जा चुकी है) कुल 891 सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लेक्सों का निर्माण कराया जायेगा।		राज्य में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कर राज्य के अधिकांष ग्रामीण क्षेत्र को खुले में शौच की प्रथा से मुक्त किया जाना।	31 मार्च 2018 तक
विद्युत देयकों का भुगतान, ग्रेच्युटी भुगतान	विद्युत देयकों का भुगतान, ग्रेच्युटी भुगतान	18580.00		विद्युत देयकों का भुगतान, ग्रेच्युटी भुगतान		पेयजल उत्पादन में प्रयुक्त विद्युत देयकों का भुगतान, कार्मिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान	